भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 971
उत्तर देने की तारीख 08 फरवरी, 2023

नेट न्यूट्रैलिटी

971. श्री विनसेंट एच. पाला:
श्री के. सुधाकरन:
श्री टी.एन. प्रथापन:
श्री के. मुरलीधरन:
श्री डी.के. सुरेश:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नेट न्यूट्रैलिटी सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 'ट्राई' द्वारा दूरसंचार विभाग को अनुशंसित बहु-हितधारक निकाय के अभी तक स्थापित नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं सेवा (आईएसपी) द्वारा नेट न्यूट्रैलिटी के संबंध में कोई तकनीकी संपरीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उनके नेटवर्क में नेट न्यूट्रैलिटी की निगरानी के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जुलाई, 2018 में कंटेंट के नॉन-डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट संबंधी सिद्धांतों को समाहित करके नेट न्यूट्रैलिटी संबंधी निदेश जारी किए गए थे।

तत्पश्चात दूरसंचार विभाग ने सितम्बर, 2018 में कंटेंट के नॉन-डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट संबंधी सिद्धातों को समाहित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए एकीकृत लाइसेंस और एकीकृत लाइसेंस (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर) एवं एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस समझौते में संशोधन किया तथा मई, 2019 में "नेट न्यूट्रैलिटी" विनियामक फ्रेमवर्क के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस में संशोधन जारी किया।

(ख) दूरसंचार विभाग ने "ट्रैफिक प्रबंधन प्रेक्टिस (टीएमपी) और नेट न्यूट्रैलिटी बहु-हितधारक निकाय" पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों की मांग करते हुए दिनांक 31.07.2018 को ट्राई को पत्र भेजा है। ट्राई ने इस विषय में दिनांक 22.09.2020 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। ट्राई की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) (घ) (ङ) और (च) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का तकनीकी लेखा परीक्षण वार्षिक आधार पर किया जा रहा है जिसमें नेटवर्क के विषय में तकनीकी सूचना, अपस्ट्रीम और डॉउनस्ट्रीम बैंडविड्थ, टैरिफ प्लान आदि शामिल हैं।

*****